

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

24 AUG 2015

क्रमांक: प.12(9)गृह-1/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक

24 AUG 2015

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला उदयपुर हेतु जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- | | | |
|----|--|------------|
| 1- | श्री बी.एल.फडिया पुत्र श्री छगनलाल फडिया,
701, अजुर्न नगर, सेक्टर-11, हिरणमगरी, उदयपुर। | अध्यक्ष |
| 2- | सुश्री अर्चना शक्तावत पुत्री कर्नल बी.के शक्तावत,
9, लाल निवास, सरदारपुरा, उदयपुर। | सदस्य |
| 3- | श्री राम सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह गरासिया,
कातरवास खुर्द, थाना बावलवाडा। | सदस्य |
| 4- | श्री धुलाराम पुत्र श्री होमा भगोरा,
मादला, ग्राम पंचयात मादला, थाना फलासिया, उदयपुर। | सदस्य |
| 5- | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
पुलिस परामर्श केन्द्र उदयपुर | सदस्य सचिव |

उक्त अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत इस समिति की पदावधि दो वर्ष की होगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

L. S. J.

(पवन कुमार जैन)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 4- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
- 6- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 7- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, उदयपुर।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।
- 9- श्री/शुश्री

(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस